

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वोदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- बलरिया

प्रकरण, संख्या:- 41/2025

दिनांक:- 25/6/2025

उमवान

श्री कल्याण पुत्र रामपाल
मीना नि बलरिया

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का बलरिया भू अ. नि. चौथ का बरवाड़ा एव तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बलरिया पो हठ बलरिया की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 42 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	रहन (बंन का नाक)	स्टेल्डॉक कोंक ठीकानेर हठ पपपुर	स्टेल्डॉक कोंक इंडिया

५

उपखण्ड अधिकारी

चौथ का बरवाड़ा (सो मा०)

प्रतिहिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री कल्याण पुत्र रामपाल मीना नि बलरिया।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सो मा०)